**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1660

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा**

**1660. श्रीमती झरना दास बैद्यः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, कितने शैक्षणिक संस्थानों को राज्य-वार अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) इस संबंध् में लंबित आवेदनों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के संस्थानों के लिए किए गए वित्तीय आवंटनों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): गत अलग-अलग तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अल्‍पसंख्‍यक दर्जा प्रदान की गई शैक्षिक संस्‍थाओं की संख्‍या का राज्‍यवार विवरण संलग्‍नक पर है।

(ख): दिनांक 15.12.2018 की स्थिति के अनुसार, अल्‍पसंख्‍यक दर्जा प्रमाणपत्र (एमएससी) के लिए 931 आवेदन लंबित हैं, क्‍योंकि ये राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक शिक्षा संस्‍थान आयोग (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत सांविधिक अपेक्षा को पूरा नहीं करते। आयोग लंबित आवेदनों का राज्‍यवार ब्‍यौरा नहीं रखता। तथापि, आयोग लंबित आवेदनों का वर्ष-वार ब्‍यौरा रखता है, जो निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत मामलों की संख्या | अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र दिए गए मामलों की संख्या | अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए लंबित मामलों की संख्या |
| 2015 | 2052 | 1116 | 936 |
| 2016 | 1349 | 703 | 646 |
| 2017 | 1220 | 595 | 625 |
| 2018 | 1017 | 86 | 931 |

(ग): एनसीएमईआई द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को कोई वित्तीय आवंटन नहीं दिया जाता है।

**\*\*\*\*\***

**संलग्‍नक**

**''शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा'' के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्रीमती झरना दास बैद्य द्वारा दिनांक 27.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 1660 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित संलग्‍नक।**

                                                                                                       (20.12.2018 के अनुसार)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र दिए जाने का वर्षवार विवरण** | | | |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | अंडमान | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 75 | 28 | 18 | 4 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | असम | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | बिहार | 12 | 14 | 14 | 4 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | दादर और नागर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दमन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | दिल्ली | 12 | 23 | 4 | 0 |
| 1 1 | गोवा | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | गुजरात | 7 | 13 | 3 | 4 |
| 13 | हरि‍याणा | 16 | 18 | 9 | 1 1 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | झारखंड | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 16 | कर्नाटक | 157 | 84 | 43 | 20 |
| 17 | केरल | 263 | 147 | 73 | 32 |
| 18 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 49 | 43 | 45 | 29 |
| 20 | महाराष्ट्र | 4 | 15 | 10 | 1 |
| 21 | मणिपुर | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | मेघालय | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | नगालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ओडिशा | 1 | 21 | 1 1 | 1 |
| 26 | पांडिचेरी | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | पंजाब | 14 | 3 | 4 | 2 |
| 28 | राजस्थान | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | तमिलनाडु | 200 | 240 | 160 | 107 |
| 31 | तेलंगाना | 60 | 67 | 3 | 3 |
| 32 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 183 | 366 | 164 | 59 |
| 34 | उत्तराखंड | 10 | 6 | 5 | 4 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 5 | 0 | 0 | 0 |

**\*\*\*\*\***